



Neutral Citation Number– 2026:AHC:57049

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8455/2026

जुबैर

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: दीपक यादव, सुरेश कुमार सिंह, वंदना राय

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक यादव और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह तत्काल जमानत आवेदन, पुलिस थाना-गभाना, जिला-अलीगढ़ में वाद अपराध संख्या- 372/2025 (जिसे प्रार्थना खंड में गलती से वाद अपराध संख्या - 372 के रूप में उल्लेखित किया गया है) के अंतर्गत,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बी.एन.एस. की धारा-305, 331(4) और 317(2) के तहत चल रहे विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं था। बाद में, 6 घंटियों की झूठी बरामदगी के आधार पर उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि बी.एन.एस. की धारा- 105 का पालन नहीं किया गया है, जिसके तहत 'फर्द' (बरामदगी की सूची) तैयार करने और बरामदगी की चलचित्र बनाना तथा उसकी पेन ड्राइव 48 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है, जैसा कि 'उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024' के नियम 18 में अपेक्षित है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक ने साथ में दिए गए हलफनामे में अपने छह आपराधिक मामलों के इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अब हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 07.12.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के लिए प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3038 में रिपोर्टेड है) के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **जुबैर** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है—इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

सीएस/-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”